

# नगर परिषद, सवाई माधोपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं : LSG/SAWAI MADHOPUR/FIRENOC/2025-26/431355  
जारी दिनांक: 17-JUN-2025

वैधता दिनांक: 16-JUN-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती : THAKUR MADAN SINGH MAHAVIDHYALAYA

आवेदक का पता : TONK ROAD, KUSTALA, SAWAI MADHOPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन THAKUR MADAN SINGH MAHAVIDHYALAYA, TONK ROAD, KUSTALA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पावंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी प्रकार का स्वामित्त दस्तावेज नहीं माना जायेगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयसमय में संपिष्ट करना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार का नियम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिबाल पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायीं जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवयर्थ रहित रखना होगा।
10. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाते।
11. रॉप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. भवन के समस्त स्टाफ व सिवयोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।



Signed by: Fateh Singh Meena  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: SAWAI MADHOPUR, Rajasthan  
Date: 17/06/2025 11:14:09

अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, सवाई माधोपुर